एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित

टोंक, समाचार जगत ब्यूरो। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (राजस्थान रेरा) की ओर से शुक्रवार को जिला परिषद सभागार, टोंक में एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के नगर निकायों, नगर परिषद एवं नगरपालिकाओं के अधिकारियों, बिल्डर्स, प्रमोटर्स, अभियंताओं, आर्किटेक्ट्स तथा अन्य हितधारकों ने भाग लिया। राजस्थान रेरा की अध्यक्ष बीनू गुप्ता के निर्देशन में आयोजित इस कार्यशाला का संचालन राजस्थान रेरा के सहायक रजिस्ट्रार जितेन्द्र त्रिपाठी एवं सुश्री वर्षा सिंघल ने किया। कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद टोंक के आयुक्त धर्मपाल जाट के समन्वय में हुआ। कार्यशाला में राजस्थान रेरा की कार्यप्रणाली, रेरा अधिनियम-2016 के प्रमुख प्रावधान, परियोजनाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया, सूचना एवं अनुपालन प्रणाली, रियल एस्टेट परियोजनाओं में पारदर्शिता, प्रमोटर्स एवं विकासकर्ताओं की जिम्मेदारियों तथा नगर निकायों एवं विकास प्राधिकरणों की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रतिभागियों के लिए प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें रेरा अधिनियम एवं उसके क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न प्रश्नों का राजस्थान रेरा के अधिकारियों ने समाधान किया। कार्यशाला का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने, हितधारकों को अधिनियम की जानकारी उपलब्ध कराने तथा प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना रहा।